बिल का सारांश

पर्सनल लॉज़ (संशोधन) बिल, 2018

- विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 10 अगस्त, 2018 को लोकसभा में पर्सनल लॉज़ (संशोधन) बिल, 2018 पेश किया। यह बिल पांच कानूनों में संशोधन करता है। ये कानून हैं: (i) तलाक एक्ट, 1869, (ii) डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939, (iii) स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954, (iv) हिंदू विवाह एक्ट, 1955, और (v) हिंदू एडॉप्शन एंड मेनटेनेंस एक्ट, 1956।
- इन सभी कानूनों में हिंदू और मुस्लिम कपल्स के विवाह, तलाक और सेपरेशन से संबंधित प्रावधान हैं। इनमें से प्रत्येक कानून में कहा गया है कि कुष्ठ रोग (लेप्रेसी) की वजह से तलाक या सेपरेशन की मांग की जा सकती है।
- बिल तलाक या सेपरेशन की वजहों में से कुष्ठ रोग को हटाता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

रोशनी सिन्हा
roshni@prsindia.org

10 अगस्त, 2018